अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक मुस्ताक अंसारी ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष तौफिक अंसारी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....199....सन् 2021

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/10/21	आवेदक मुस्ताक अंसारी पे० स्व० इब्राहीम अंसारी, सा०- खरखरो थाना- बगोदर जिला- गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा औरिया, थाना- बगोदर खाता सं०- 31/62, प्लॉट सं०- 844, रकबा 06 डी० मध्ये 2½ डी० चौ० उ०- पी० डब्ल्यू० डी० रोड, द०- नीज पू०- सनिदा खातुन प०- मकान मियाँ एवं (3) खाता सं०- 31/62 प्लॉट सं०- 844 रकबा 28 डी० मध्ये 14 डी० में भू- विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच / मंतव्य अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी से माँगा। अभिलेख दि० 28.10.21 को रखें। लेखापित एवं संशोधित अनु० दण्डा० बगोदर- सरिया अनु० दण्डा० बगोदर- सरिया	352 21/10/21

को क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/11/21	अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बगो.ओ.पी. के पत्रांक 3209 दिनांक 28/10/21 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें की आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से में संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभंय पक्षों से दिनांक 18/11/21 को करण–पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित । अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया। अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। To 4/12/21 [signature] 18/11	
04/12/21	उभय पक्ष वकालतन हाजिर है। अभिलेख 16/12/21 को रखें। अनु० पदा०	
16/12/21	~~प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष~~ वकालतन हाजिर है। To 30/12/21 [signature] 16/12	
30/12/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। ~~To~~ प्रश्नगत विवाद उभय पक्षों के बीच आपसी बँटवारे ~~के विवाद~~ के कारण है तथा प्रथम पक्ष के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। [signature]	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विवादित भूमि प्रथम पक्ष के पिता इब्राहीम अंसारी तथा स्वयं द्वारा क्रमशः निबंधित केवाला सं० - 9661, दिनांक - 20.09.21 तथा सं० - 9777, दिनांक - 1.10.21 द्वारा क्रय किया गया है। प्रथम पक्ष के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि का उनके तीन पुत्रों - इरशाद अंसारी, तौफिक अंसारी एवं तौहिद अंसारी के बीच बंटवारा हो गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष की खरीदगी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष के अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार उभय पक्ष के पिता द्वारा क्रय की गई 6 डी. भूमि का बंटवारा तीन पुत्रों एवं एक पुत्री के बीच किया जा चुका है, जिस पर भाई-बहन मकान बना कर आवासन कर रहे हैं। विवादित जमीन का दूसरा केवाला से प्रथम पक्ष के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

मुख्तार अंसारी, बीबी सबीना खातुन तथा द्वितीय (महफूज) तौफिक अंसारी पक्ष के क्रम सं० 4, समीरा खातुन पिता गुलजार अंसारी को खाता - 31/62, प्लाट - 844 रकबा 28 डी. भूमि हासिल है। खरीदगी केवाला से हासिल होने के बाद प्रथम पक्ष के हिस्से में केवाला के आधार पर 14 डी. भूमि दखल कब्जा है, ~~परन्तु~~ द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि ~~से~~ से कोई लेना देना नहीं है।

उभयों पक्षों के लिखित अभिकथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवाद जमीन के बंटवारे को लेकर है। थाना प्रभारी बगोदर द्वारा अंचल अमीन का प्रतिवेदन को समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार नापी के उपरान्त विवाद का आंशिक रूप से निपटारा हो गया है। अतः निषेधाज्ञा को [illegible] करते हुए उभय [illegible] आदेश दिया जाता है, कि सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

30/12/21

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.10.08 15:22:09 +05:30
Location: 192.168.1.7